सुवालाल बनाम खेमा व अन्य
प्रकरण संख्याः– 05/2025(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–30/06/2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या –05/2025 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 02/01/2025
निर्णय दिनांक –30/06/2025

अनवान

1. सुवालाल पिता नाथु जाति सालवी निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. खेमा पुत्र मोहन जाति भील निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. हरजु पत्नी मोहन जाति भील निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरिया पटवार सर्कल कालेसरिया तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके खाता संख्या 290 खसरा 1113/27 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात पर प्रार्थी निर्वाध रूप से काश्त वगैरा चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ट्री सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सुवालाल बनाम खेगा व अन्य
प्रकरण संख्याः– 05 / 2025(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–30 / 06 / 2025

की सीमा से मिलते हुये पडौसी हैं हर समय प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करनें की नियत रखते हैं जिससे फसल बुआई, कटाई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद होता हैं तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिए विवश होना पडता हैं मौके पर अशांति कायम रहती हैं जिससें प्रार्थी शांतिपूर्वक कास्त, उपयोग, उपभोग भूमि का नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की भूमि के पास विपक्षीगण का पडौस हैं प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि से विपक्षीगण की भूमि मिलती हूॅई हैं व विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौस हैं। विपक्षीगण व प्रार्थी के मध्य भूमि सीमा विवाद बना रहता है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को अपना बता कर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखतें हैं इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं जिससे भूमि संबंधि होने वाला विवाद समाप्त हो जायेगा। प्राथी की उक्त वर्णित आराजियात जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त हैं कि नपती पत्थरगढ़ी हो जाती हैं तो प्रार्थी को फसलों की बुवाई, कटाई के समय विपक्षीगण से सीमा बाबत् जो विवाद बना रहता हैं यह हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी शांतिपूर्वक कास्त वगैरा व भूमि का उपयोग कर सकेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कब्जे की वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सुवालाल बनाम खेमा व अन्य
प्रकरण संख्याः— 05/2025(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः—30/06/2025

अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :—

> Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.
>
> Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालेसरिया पटवार सर्कल कालेसरिया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 290 के खसरा संख्या 1113/27 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ को

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सुवालाल बनाम खेमा व अन्य
प्रकरण संख्याः– 05 / 2025(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–30 / 06 / 2025

आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खडी हो तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30 / 06 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)